

फर्द अहकाम

31260 नं. बनाम उमोद सिंह

माल्य के माद

11 नवंबर 1994/2004

दिनांक आह्रा या कार्यवाही	आह्रा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पत्रावली आज दिनांक 28/11/20 को पेश हुई वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली यास्तु ताली/साम्य / कार्यवाही/पाजवाब/... को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आज दिनांक 28/11/20 को पेश हुई वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली यास्तु ताली/साम्य / कार्यवाही/पाजवाब/... को पेश हो।</p> <p>आज दिनांक 3/11/20 को पत्रावली पेश हुई अभिभाषक मं. द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/लगाए/... किये जाने के कारण न्यायाधिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली निर्णय दिनांक 3/11/20 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली यास्तु ताली/साम्य / कार्यवाही/पाजवाब/... को पेश हो।</p> <p>आज दिनांक 3/11/20 को पत्रावली पेश हुई अभिभाषक मं. द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/लगाए/... किये जाने के कारण न्यायाधिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.स. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली निर्णय दिनांक 3/11/20 को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

AC-11

इसका नाम

बनाम

इसेड डिस्ट्रिक्ट

केस संख्या

मुवा-164/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>इसलिए कलक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे 03/10/2024 को अपने जिले के मुख्यालय मुनापगिषा</p> <p>G.</p> <p>सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्लदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व
इजलास गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

अरुण शर्मा

बनाम

उम्मेदसिंह वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

मुकद्दमा नम्बर - दावा/2024/164

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी
मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद
विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को
निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का
नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट निर्णय का
अभिन्न अंग रहेगा।

निज मुबलिंग बाबत
.. खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज
की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.10.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (द्वितीय)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान	00		मीजान	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (द्वितीय)